



2025:AHC:17124

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 163 सन् 2026

राज कुमार साहू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	धीरज कुमार द्विवेदी
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं पीड़िता द्वारा इस कथन के साथ दर्ज कराई गई कि पूर्व में दिनांक 20.06.2025 को जब वह अपने घर में अकेली थी, तब आवेदक, जो उसका मकान मालिक है, उसके घर में आया और उसके साथ बलात्कार किया। तत्पश्चात धमकी देकर वह कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने कथनों में पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन का समर्थन किया है। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य अथवा आंतरिक चोट नहीं पाई गई। आगे यह भी कहा गया है कि जैसा आरोप है, पीड़िता के साथ बलात्कार की प्रथम घटना दिनांक 20.06.2025 को हुई तथा यह आरोप है कि आवेदक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.10.2025 को दर्ज की गई। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलंब है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्योंकि इससे पूर्व पीड़िता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। पीड़िता विवाहित महिला है। अभियोजन कथन से प्रतीत होता है कि लगभग छह माह की पर्याप्त अवधि तक दोनों के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित रहे और इससे पूर्व कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। अतः यह प्रतीत होता है कि पीड़िता सहमति देने वाली पक्षकार थी तथा आवेदक को दुर्भावनापूर्ण आशय एवं गलत उद्देश्य से झूठे एवं निराधार आरोपों में फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता प्रदर्शित करने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फँसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, वह निष्ठापूर्वक उपस्थित होगा और न्यायालय द्वारा आरोपित सभी शर्तों को स्वीकार करने हेतु भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 02.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की उदारता का अधिकारी नहीं है।

4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः आवेदक- राज कुमार साहू को मुकदमा अपराध संख्या 243 सन् 2025, अंतर्गत धाराएँ 64(2)(एम), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सेन पश्चिमपारा, जनपद- कानपुर नगर में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

(iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का संदेह है।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत कर सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सके।

6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

जनवरी 22, 2026

मुस्तकीम